संलग्नक – 1

2676
6/10/09

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

संख्या–5/स.भू. राँची–2042–77/07......................................./रा., राँची, दिनांक–

राज्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) झारखण्ड,
पो0–हिनू, राँची।

विषयः– परामर्शी परिषद की बैठक दिनांक–11.9.2009 के मद संख्या–01 में लिए गए निर्णय के आलोक में राँची जिलान्तर्गत अंचल–नामकुम, मौजा–प्लाण्डू, गड़के, चुरू, लालखटंगा गड़खटंगा, पिण्डारकोम के विभिन्न खाता एवं प्लॉट का कुल रकवा–575.71 एकड़ (विस्तृत विवरणी संलग्न) भू–हदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित अधिशेष भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

2. प्रस्तावित भूमि पर ही राज्य में नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी।
3. इस शर्त्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उस प्रयोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रयोजन हेतु उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
4. अन्य सभी शर्त्तें इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(आर0 एस0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0